प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
आजमगढ़ मण्डल,आजमगढ़।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र–2 समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

पत्रांक/ 1312-19 /2022–23 दिनांकः 31 मई 2022

विषयः–राधिका पब्लिक स्कूल, वीरभानपुर मेंहनगर, आजमगढ़ को सी0बी0एस0ई0/सी0आई0सी0एस0ई0 बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए यह कहने का निर्देश हुआ है कि राधिका पब्लिक स्कूल, वीरभानपुर मेंहनगर, आजमगढ़ को सी0बी0एस0ई0 /सी0आई0सी0एस0ई0 बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं हैः–

01. विद्यालय की पंजीकृत ट्रस्ट का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

02. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

03. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

04. विद्यालय द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मॉग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेण्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।

05. संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय/सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

06. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

07. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

08. विद्यालय के रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

09. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा

पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

इसके अतिरिक्त विद्यालय भवन/छात्रों/शिक्षकों एवं कर्मचारियों की सुरक्षा के सम्बन्ध में सम्प्रति प्रभावी और समय-समय पर संशोधित शासनादेशों/विभागीय निर्देशों के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था के मानकों का सतत् अनुपालन करना भी प्रबन्धतन्त्र के लिये अनिवार्य होगा।

भवदीय

(योगेन्द्र कुमार सिंह)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
आजमगढ़ मण्डल आजमगढ़।

पृ0सं0/ /2022-23 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. अपर मुख्य सचिव (माध्यमिक शिक्षा), उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
02. आयुक्त, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।
03. जिलाधिकारी, आजमगढ़।
04. शिक्षा निदेशक (मा0), उ0प्र0 लखनऊ।
05. जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़।
06. निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
07. प्रबन्धक, राधिका पब्लिक स्कूल, वीरभानपुर मेंहनगर, आजमगढ़।

संयुक्त शिक्षा निदेशक
आजमगढ़ मण्डल आजमगढ़।